न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 54/2020 राजस्व अपील

1. केसर पत्नि चौथमल जाति कोली निवासी मांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 16.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम केसर मु. नं. 42/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 25.03.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम राणोली तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 697/104 रकबा 0.20 है. किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश दिनांक 16.08.2018 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय विधि खिलाफ कानूनी नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने के निरस्त ... अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया ... पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। पटवारी ने गलत रिपोर्ट ... की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई सबूत व जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.06.10 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सजा जैसे मुकदमे में पीडित पक्ष को सुनवाई व सबूत का मौका मिलना न्यायार्थ आवश्यक था। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनन गलती की है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 16.08.2018 निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम राणोली में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 697/104 रकबा 0.20 है. भूमि पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी काश्त की हुई है एवं अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण कर लेता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 42/2018 सरकार बनाम केसर निर्णय दिनांक 16.08.2018 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित चरागाह भूमि खसरा संख्या 697/104 रकबा 0.20 पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है तथा अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण किये जाने की अपीलान्ट की प्रवृति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मुकदमा नम्बर 42/2018 सरकार बनाम केसर में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.3.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से रवते न्यायालय से सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.06.10 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा